RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

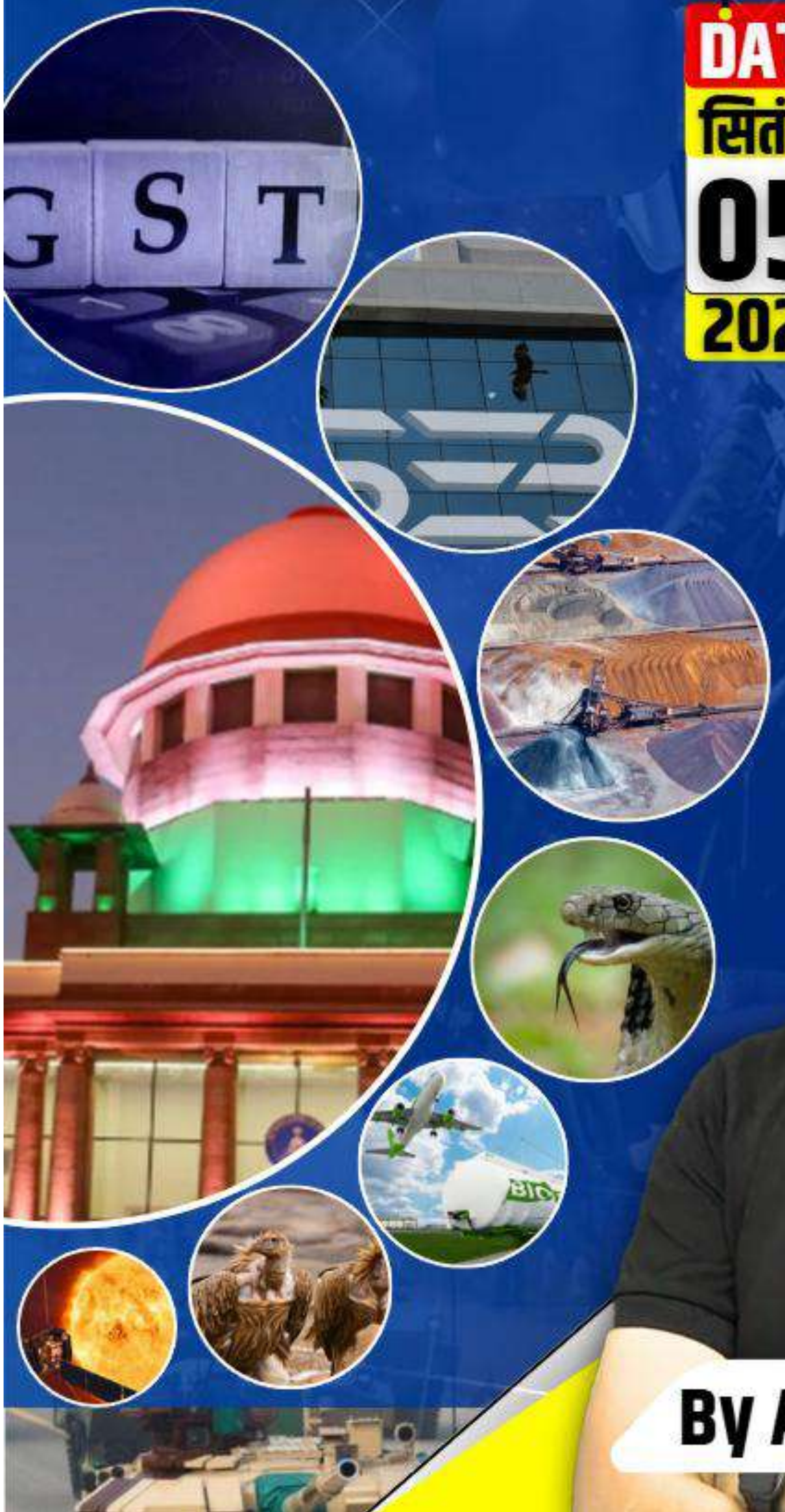

DATE
सितंबर
05
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

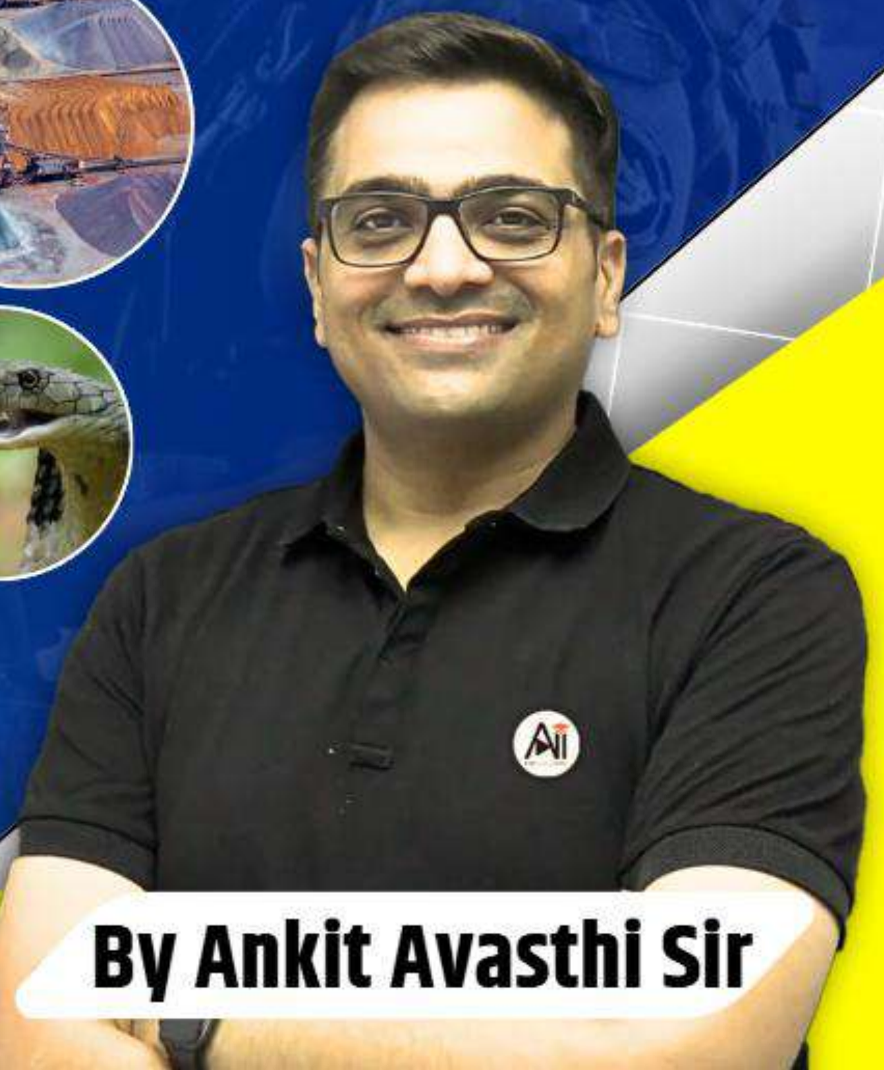

By Ankit Avasthi Sir

जीएसटी सुधार / GST reform

संदर्भ:

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लम्बी चर्चा के बाद टैक्स संरचना को सरल करने का निर्णय लिया गया। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि अब पहले की तरह चार नहीं, बल्कि केवल दो जीएसटी दरें होंगी **5% और 18%**।

- इस संशोधन से रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे साबुन और शैम्पू के साथ-साथ एसी और कार जैसी वस्तुएँ भी सस्ती हो जाएँगी।

घटाए गए जीएसटी दरें के बारे में मुख्य बिन्दु:-

1. रोजमर्रा के सामान: आम उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बड़ी राहत दी गई है।

- अब साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट पर पहले लगने वाला 18% जीएसटी घटाकर केवल 5% कर दिया गया है।
- इसी तरह घी और मक्खन, नूडल्स और नमकीन, बर्तन, बच्चों की बोतलें, नैपकिन व डायपर और सिलाई मशीन इन सभी पर पहले 12% जीएसटी लगता था, जो अब घटकर केवल 5% रह गया है।

2. कृषि उपकरण व सामान: किसानों को सीधी राहत देने के लिए कृषि संबंधी उपकरणों पर भी कर का बोझ कम किया गया है।

- ट्रैक्टर टायर, जिन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब केवल 5% पर आ गए हैं।
- वहीं ट्रैक्टर, सिंचाई की मशीनें और अन्य कृषि मशीनरी इन सब पर पहले 12% जीएसटी लगता था, जो अब घटकर 5% कर दिया गया है।

3. स्वास्थ्य क्षेत्र: स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं और वस्तुओं पर भी बड़ा बदलाव हुआ है।

- हेल्थ इंश्योरेंस पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा (पहले 18% लगता था)।
- थर्मामीटर पर जीएसटी दर 18% से घटकर 5% कर दी गई है।
- ऑक्सीजन और डायग्नॉस्टिक किट पर पहले 12% जीएसटी था, जो अब घटकर 5% कर दिया गया है। इससे इलाज और चिकित्सा उपकरण दोनों सस्ते होंगे।

4. ऑटोमोबाइल सेक्टर: वाहनों पर भी कर में कटौती की गई है।

- छोटी कारों पर पहले 28% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है।
- मोटरसाइकिलों पर भी यही बदलाव किया गया है, यानी 28% से घटाकर 18% कर लागू होगा।

5. शिक्षा क्षेत्र: शिक्षा से जुड़े सामान पर कर में राहत दी गई है।

- मैप, चार्ट और ग्लोब पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा (पहले 12% लगता था)।
- पेंसिल और क्रेयॉन पर भी जीएसटी शून्य कर दिया गया है।
- बुक्स पर पहले 5% जीएसटी था, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है।

6. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: घर में इस्तेमाल होने वाले बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी कर घटाया गया है।

- एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी और वॉशिंग मशीन इन सभी पर पहले 28% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर अब 18% कर दिया गया है।

7. जिन पर 40% जीएसटी लगेगा: कुछ हानिकारक वस्तुओं पर जीएसटी दर बढ़ाकर 40% कर दी गई है।

- इसमें 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा और बीड़ी शामिल हैं।
- इसके अलावा मीठे और शर्करा युक्त कार्बोनेटेड पेय, सुगंधित व कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, बड़ी गाड़ियां (पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ऊपर और डीजल इंजन 1500 सीसी से ऊपर), निजी उपयोग के विमान व हेलीकॉप्टर तथा मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएं और जहाज भी इस उच्चतम जीएसटी दर के अंतर्गत रखे गए हैं।

22 सितंबर से लागू होंगे नए टैक्स स्लैब: निर्मला सीतारमण ने बताया कि नई दरें नवरात्रि के पहले दिन, 22 सितंबर से लागू की जाएँगी। हालांकि तंबाकू से जुड़े उत्पादों पर प्रस्तावित 40% जीएसटी फिलहाल लागू नहीं होगा। सुधारों का उद्देश्य आम जनता को राहत देना, छोटे कारोबारियों को सहारा प्रदान करना और हानिकारक वस्तुओं जैसे तंबाकू के उपभोग को कम करना है।

आम आदमी को फायदे इस तरह मिलेंगे–

- **जीवन-यापन सस्ता:** साबुन, टूथपेस्ट, खाने-पीने का सामान और घरेलू चीज़ें सस्ती होंगी।
- **इलाज आसान:** दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण और हेल्थ इंश्योरेंस सस्ते होंगे।
- **घर बनाना सस्ता:** सीमेंट और निर्माण सामग्री पर खर्च घटेगा।
- **वाहन किफायती:** छोटी कारें, बाइक और ऑटो पार्ट्स सस्ते मिलेंगे।
- **घरेलू सुविधाएँ सस्ती:** टीवी, एसी और वॉशिंग मशीन खरीदना आसान होगा।
- **शिक्षा किफायती:** किताबें और पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें सस्ती होंगी।

Jane Street और SEBI विवाद / Jane Street and SEBI dispute

संदर्भ:

अमेरिका स्थित हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म **Jane Street** ने भारतीय बाजार नियामक **सेबी** के खिलाफ मामला दायर किया है। सेबी ने Jane Street पर भारतीय शेयर बाजार में **मार्केट मैनिपुलेशन (Market Manipulation)** करने का आरोप लगाया था।

Jane Street ने SEBI पर लगाया आरोप:

अमेरिका स्थित ट्रेडिंग फर्म **Jane Street** ने **SEBI** के खिलाफ **SAT** में अपील दायर की है।

- कंपनी का आरोप है कि **सेबी उन्हें वह डेटा और दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करा रहा**, जो मार्केट मैनिपुलेशन के आरोपों का जवाब देने के लिए जरूरी हैं।
- सूत्रों के मुताबिक, Jane Street ने अपनी अपील में **SAT से अनुरोध किया है कि सेबी को निर्देश दिया जाए कि वह कंपनी को सभी आवश्यक दस्तावेज और डेटा उपलब्ध कराए**, ताकि वे अपने बचाव में सही तरीके से जवाब दे सकें।

Jane Street और SEBI विवाद: पूरा मामला-

1. सेबी का आरोप:

- 3 जुलाई 2025 को SEBI ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म **Jane Street** पर भारतीय शेयर बाजार में **बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 इंडेक्स में हेरफेर (Manipulation)** करने का आरोप लगाया।
- SEBI के अनुसार, फर्म ने डेरिवेटिव्स मार्केट में बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग की, जिससे इंडेक्स की कीमतें प्रभावित हुईं।
- इस हेरफेर से कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया, जबकि छोटे निवेशकों को नुकसान हुआ।

2. सेबी की कार्रवाई:

- SEBI ने Jane Street को भारतीय बाजार से **अस्थायी रूप से प्रतिबंधित (Temporary Ban)** कर दिया।
- कंपनी के **48.4 अरब रुपये (लगभग 567 मिलियन डॉलर)** जब्त किए गए, जिन्हें SEBI ने "अवैध लाभ" बताया।

3. Jane Street का मुनाफा और नुकसान:

- SEBI का आरोप है कि फर्म ने **ऑप्शंस ट्रेडिंग से 44,358 करोड़ रुपये** का मुनाफा कमाया।

सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल (SAT) क्या है?

- **स्थापना:** यह एक अर्ध-न्यायिक संस्था (quasi-judicial body) है, जिसे **Securities and Exchange Board of India Act, 1992** के तहत बनाया गया।
- **मुख्य उद्देश्य:** SEBI या अधिनियम के तहत किसी नियुक्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ अपील सुनना और उनका निपटारा करना।
- **क्षेत्राधिकार:** पूरे भारत में लागू, मुख्यालय मुंबई में है।
- **किसके आदेशों पर अपील?**
  - SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया)
  - IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण)
  - PFRDA (पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण)

SAT के प्रमुख अधिकार:

1. अपील और न्यायिक समीक्षा

- SEBI, IRDAI और PFRDA के आदेशों पर अपील सुन सकता है।
- आदेशों को **स्वीकृत, संशोधित या रद्द** कर सकता है।
- सुनिश्चित करता है कि नियामक संस्थाओं की कार्रवाई **कानूनन और निष्पक्ष** हो।

2. सिविल कोर्ट जैसे अधिकार

- गवाहों को तलब करने और शपथ पर पूछताछ करने का अधिकार।
- दस्तावेज़ों की खोज, प्रस्तुति और शपथपत्र पर साक्ष्य स्वीकार करने का अधिकार।
- गवाहों/दस्तावेज़ों की जाँच के लिए आयोग जारी कर सकता है।
- अपने ही निर्णय की समीक्षा कर सकता है और डिफ़ॉल्ट या **ex parte** (एकपक्षीय) आदेश पारित कर सकता है।

3. अंतरिम राहत: आपातकालीन मामलों में अस्थायी आदेश जारी कर सकता है, सुनवाई के दौरान नुकसान से बचाने के लिए **जुर्माना या नियामक कार्रवाई को स्थगित** कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश / Women Judges In The Supreme Court

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा स्थिति न्यायिक प्रणाली में **समावेशिता और लैंगिक समानता** पर गंभीर प्रश्न उठाती है। वर्तमान में कुल **34 न्यायाधीशों** की पूर्ण संख्या में से केवल **एक महिला न्यायाधीश** कार्यरत हैं, यह स्थिति न केवल न्यायपालिका में महिलाओं की सीमित उपस्थिति को दर्शाती है, बल्कि **न्याय वितरण की व्यापकता और समान प्रतिनिधित्व** पर भी गहरा प्रभाव डालती है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट में महिलाएँ:

1. **प्रतिनिधित्व (Representation)**
   - 1950 से अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल **287 जज** नियुक्त हुए हैं।
   - इनमें से सिर्फ **11 महिलाएँ** रही हैं, यानी केवल **3.8%**।
   - कभी भी एक साथ **चार से ज़्यादा महिला जज** सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहीं।
2. **पहली महिला जज:** जस्टिस फातिमा बीवी (Justice Fathima Beevi) को 1989 में पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया।
3. **महत्वपूर्ण कदम (2021)**
   - वर्ष 2021 में पहली बार **तीन महिला जजों को एक साथ** सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया।
   - इस वजह से कुछ समय के लिए महिलाओं की हिस्सेदारी **10% से ऊपर** पहुँच गई थी।
4. **हाशिए के समुदायों का बहिष्कार:** अब तक किसी भी महिला जज का चयन अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य वंचित समुदायों से नहीं हुआ है।
5. **वर्तमान स्थिति (2025)**
   - फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केवल एक महिला जज – जस्टिस बी.वी. नागरत्ना हैं।
   - वर्ष 2027 में वे भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी।

न्यायपालिका में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण:

1. ऐतिहासिक और सामाजिक अवरोध:
- लंबे समय तक **पितृसत्तात्मक सोच** ने महिलाओं को विधि पेशे से बाहर रखा।
- यह धारणा बनी रही कि महिलाएँ जटिल कानूनी मामलों को संभालने में सक्षम नहीं हैं।
- समाज में महिलाओं से **परिवार और देखभाल की भूमिकाएँ** निभाने की अपेक्षा ने उनकी भागीदारी सीमित की।

2. शिक्षा और करियर से जुड़ी चुनौतियाँ:
- गुणवत्तापूर्ण **कानूनी शिक्षा तक सीमित पहुँच**, खासकर वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए।
- **आदर्श (Role Models)** और मेंटरशिप की कमी ने उन्हें न्यायिक करियर अपनाने से हतोत्साहित किया।

3. पेशेवर और कार्यस्थल संबंधी बाधाएँ:
- **पुरुष-प्रधान नेटवर्क** महिलाओं की उन्नति में बाधा हैं।
- **सहायक सुविधाओं का अभाव** – जैसे मातृत्व अवकाश, चाइल्डकेयर और लचीली कार्य नीतियाँ।

4. संस्थागत और संरचनात्मक पक्षपात:
- **कोलेजियम प्रणाली (Collegium System)** पारदर्शिता और लैंगिक संवेदनशीलता से वंचित मानी जाती है।
- नेतृत्व की भूमिकाओं तक पहुँचने में महिलाओं को **व्यवस्थित अवरोध** झेलने पड़ते हैं; बहुत कम महिला जज मुख्य न्यायाधीश बनी हैं।

5. पदोन्नति और स्थायित्व की समस्याएँ:
- भेदभाव और सीमित करियर प्रगति की वजह से महिलाएँ न्यायपालिका में **अधिक दर से बाहर हो जाती हैं**।
- शुरुआती प्रवेश के बावजूद शीर्ष पदों तक उनका पहुँचना मुश्किल होता है।

वर्तमान चुनौतियाँ (Current Challenges)

कम कार्यकाल:
- महिलाओं के कार्यकाल (Tenure) आमतौर पर पुरुष जजों की तुलना में छोटा होता है।
- इससे उन्हें वरिष्ठ पदों तक पहुँचने का अवसर कम मिलता है।

नियुक्ति की देरी:
- महिलाओं की नियुक्ति अक्सर **अधिक उम्र में** होती है।
- इस कारण वे लंबे समय तक सेवा नहीं कर पातीं और शीर्ष पदों तक पहुँचने की संभावना घट जाती है।

लैंगिक मानदंडों की अनुपस्थिति:
- सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के दौरान **जाति, धर्म और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व** पर तो ध्यान दिया जाता है,
- लेकिन **लैंगिक प्रतिनिधित्व** को कोई **संस्थागत मान्यता** नहीं दी गई है।

कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए ₹1,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी / Cabinet clears ₹1,500 cr scheme to promote critical mineral recycling

संदर्भ:

प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना** को मंज़ूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में **रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करना** और **द्वितीयक स्रोतों से क्रिटिकल मिनरल्स का पृथक्करण व उत्पादन** करना है। यह कदम भारत की **संसाधन सुरक्षा, सतत विकास** और **आयात पर निर्भरता कम करने** की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना-

1. पृष्ठभूमि:

- यह योजना **National Critical Mineral Mission** का हिस्सा है।
- उद्देश्य: भारत में **क्रिटिकल मिनरल्स की घरेलू क्षमता और सप्लाई चेन रेज़िलिएंस** को मजबूत करना।

2. अवधि और बजट:

- अवधि: **6 वर्ष** (वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक)।
- कुल बजट: **₹1,500 करोड़**।

3. पात्र फीडस्टॉक (Feedstock):

- **ई-वेस्ट (E-Waste)**
- **लिथियम आयन बैटरी (LIB) स्क्रैप**
- अन्य स्क्रैप (ई-वेस्ट और LIB स्क्रैप को छोड़कर)।

4. लाभार्थी:

- **बड़े और स्थापित रीसाइक्लर**
- **छोटे और नए रीसाइक्लर** (स्टार्ट-अप सहित) → इनके लिए योजना का **1/3 हिस्सा** सुरक्षित रखा गया है।

5. योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- नए यूनिट्स में निवेश, साथ ही **मौजूदा यूनिट्स का विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण** भी शामिल।
- प्रोत्साहन केवल उसी वैल्यू चेन के लिए होगा, जो **क्रिटिकल मिनरल्स का वास्तविक निष्कर्षण (Extraction)** करती है, न कि केवल ब्लैक मास प्रोडक्शन।

6. प्रोत्साहन (Incentives):

- **20% पूंजी सब्सिडी (Capital Subsidy):** उन प्रोजेक्ट्स पर, जो निर्धारित समय में उत्पादन शुरू करें।
- **ऑपरेशनल सब्सिडी (Operational Subsidy):**
  - बिक्री वृद्धि (Incremental Sales) से जुड़ी होगी।
  - **किस्तों में दी जाएगी:**
    - दूसरी साल: 40%
    - पाँचवें साल: 60%

7. सीमा (Caps on Incentives):

- बड़े संस्थानों के लिए अधिकतम **₹50 करोड़**।
- छोटे संस्थानों के लिए अधिकतम **₹25 करोड़**।
- ऑपरेशनल सब्सिडी सीमा:
  - बड़े संस्थानों के लिए ₹10 करोड़।
  - छोटे संस्थानों के लिए ₹5 करोड़।

8. अपेक्षित परिणाम:

- **270 किलो टन/वर्ष रीसाइक्लिंग क्षमता** विकसित होगी।
- लगभग **40 किलो टन/वर्ष क्रिटिकल मिनरल उत्पादन**।
- लगभग **₹8,000 करोड़ निवेश** आकर्षित होगा।
- करीब **70,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार** उत्पन्न होंगे।

राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM):

1. **अवधि:** यह मिशन **वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31** तक लागू रहेगा।
2. **मुख्य उद्देश्य:**
   - भारत की **क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन** को सुरक्षित बनाना।
   - घरेलू और विदेशी स्रोतों से मिनरल उपलब्ध कराना।
3. **क्षेत्र (Scope):**
   - वैल्यू चेन के सभी चरणों को शामिल करता है:
     - खनिज खोज (Exploration)
     - खनन (Mining)
     - बेनीफिशिएशन (Beneficiation – अयस्क शोधन प्रक्रिया)
     - प्रोसेसिंग (Processing)
     - उपयोग के बाद उत्पादों से पुनर्प्राप्ति

भारत में चार बड़े साँप / Big Four Snakes in India

संदर्भ:

हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत के **'बिग फोर' जहरीले सांप** कॉमन क्रेट, spectacled कोबरा, रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर जलवायु परिवर्तन के कारण अपने आवास क्षेत्रों को उत्तर और उत्तर-पूर्व की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं।

- इस बदलाव से नए क्षेत्रों और आबादी को सांपदंश के खतरे का सामना करना पड़ सकता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी, एंटिवेनम की आपूर्ति और जन-जागरूकता को मजबूत करने की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

1. चिकित्सा महत्व (Medical Significance)

- भारत में **Big Four सांप** (कोबरा, क्रेट्स, सॉ-स्केल्ड वाइपर, और किंग कोबरा) **90% से अधिक सांप काटने की मौतों** के लिए जिम्मेदार हैं।
- भारत में **सांप काटना Neglected Tropical Disease (NTD)** के रूप में वर्गीकृत है।

2. भारत का वैश्विक भार: दुनिया भर में होने वाली सांप काटने की मौतों का लगभग **अर्धांश (लगभग 50%) भारत में होता है**, जो यह दर्शाता है कि यह एक गंभीर **सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती** है।

3. जलवायु परिवर्तन का आवास पर प्रभाव:

दक्षिणी क्षेत्र (Southern Regions)

- अनुकूल आवास में **घटावट की संभावना**, खासकर **कर्नाटक** में, जो वर्तमान में **सॉ-स्केल्ड वाइपर का प्रमुख आवास** है।

उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र (Northern & Northeastern Regions)

- **अनुकूल आवास का विस्तार** होने की भविष्यवाणी: हरियाणा, राजस्थान, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश।

पूर्वोत्तर राज्य: कुछ राज्यों में **100% से अधिक वृद्धि** होने की संभावना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण आवासीय परिस्थितियाँ बदल रही हैं।

सेशेल्स / Seychelles

संदर्भ:

भारतीय नौसेना के जहाज़ **आईएनएस तीर**, **आईएनएस शार्दुल** और भारतीय तटरक्षक जहाज़ **आईसीजीएस सारथी**, जो **फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन (1TS)** का हिस्सा हैं, **सेशल्स** पहुँचे।

सेशेल्स (Seychelles)

1. भौगोलिक जानकारी:

- सेशेल्स एक **115 द्वीपों का समूह (Archipelago)** है।
- यह **केन्या के पूर्व और मेडागास्कर के उत्तर-पूर्व** में स्थित है।
- राजधानी **विक्टोरिया (Victoria)** महे द्वीप पर स्थित है।
- इसका स्थान **प्रमुख समुद्री मार्गों के पास** होने के कारण भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है।

2. भारत के लिए महत्व (Importance for India)

- भारत और सेशेल्स के बीच **गहरी ऐतिहासिक साझेदारी** है; भारतीय बसावट 1770 से यहाँ आई थी।
- द्विपक्षीय संबंध धीरे-धीरे विकसित हुए हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - रक्षा और समुद्री सुरक्षा
  - जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना
  - सांस्कृतिक आदान-प्रदान
- **भारत ने सेशेल्स का समर्थन कई तरीकों से किया है:**
  - पैट्रोल जहाज (Patrol Vessels) देना
  - हाइड्रोग्राफिक सर्वे (Hydrographic Surveys) करना
  - कोस्टल सर्विलांस राडार सिस्टम (Coastal Surveillance Radar System) स्थापित करना
- **हाल ही में सहयोग में शामिल हैं:**
  - ग्रांट सहायता के तहत संयुक्त परियोजनाएँ
  - इंटरनेशनल सोलर अलायंस (International Solar Alliance) में सहयोग

सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल / SAF

संदर्भ:
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के सहयोग से और यूरोपीय संघ के समर्थन के साथ आधिकारिक रूप से भारत के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) व्यवहार्यता अध्ययन जारी किया है। यह अध्ययन भारत के विमानन क्षेत्र में हरित विमानन को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और एक सतत भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF):

1. परिभाषा:

- **SAF** एक वैकल्पिक ईंधन है, जो **गैर-पेट्रोलियम स्रोतों** से बनाया जाता है।
- यह **हवाई परिवहन (Air Transportation)** से होने वाले उत्सर्जन को कम करता है।
- SAF को **10% से 50% तक** पारंपरिक जेट ईंधन के साथ मिलाया जा सकता है, यह फीडस्टॉक और उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

2. SAF की आवश्यकता (Need for SAF)

- वैश्विक स्तर पर, **एविएशन 2% कुल CO2 उत्सर्जन** और **सभी परिवहन CO2 उत्सर्जन का 12%** जिम्मेदार है।
- ICAO का **CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)** योजना 2035 तक नेट CO2 उत्सर्जन को **2020 स्तर पर सीमित** करती है।
- अंतरराष्ट्रीय विमानन उद्योग का लक्ष्य **2050 तक नेट-जीरो कार्बन** प्राप्त करना है।
- **SAF सबसे प्रभावी और तुरंत लागू की जाने वाली विकल्प** है इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए।

3. SAF के लाभ:

1. **इंजन और इंफ्रास्ट्रक्चर संगतता:** SAF को पारंपरिक **Jet A फ्यूल के साथ मिलाकर** मौजूदा विमान और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जा सकता है।
2. **कम उत्सर्जन:** 100% SAF पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 94% तक कम** कर सकता है, फीडस्टॉक और तकनीक पर निर्भर।
3. **अधिक लचीलापन:** SAF पारंपरिक जेट ईंधन का **प्रतिस्थापन** है।

गिद्ध संरक्षण परियोजना / Vulture Conservation Project

संदर्भ:
असम स्थित एक फाउंडेशन ने **गौहाटी विश्वविद्यालय** के सहयोग से भारत का पहला **गिद्ध संरक्षण पोर्टल** शुरू किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देशभर के **संरक्षणवादियों, शोधकर्ताओं और समुदायों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क** तैयार करना है, ताकि गिद्धों के संरक्षण को संगठित और प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल – असम

1. उद्देश्य: भारत में **गिद्धों की आबादी की निगरानी और संरक्षण** करना, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) हैं।

2. पोर्टल का उद्देश्य (Purpose)

1. **आबादी की निगरानी:** गिद्ध प्रजातियों की स्थिति और वितरण का देशव्यापी ट्रैक रखना।
2. **डेटा संग्रह (Data Collection):** गिद्धों की दृष्टिगोचर (Sightings), प्रजनन डेटा, मृत्यु के कारण और आवास की जानकारी रिकॉर्ड करना।
3. **अनुसंधान और संरक्षण:**
   - वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायता करना।
   - नीति निर्माण और संरक्षण योजना में मदद करना।
4. **सामुदायिक जागरूकता:**
   - गिद्ध संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना।
   - ज़हरीले पदार्थों और आवास नुकसान के खतरे कम करना।

भारत में गिद्ध (Vultures in India)

- **परिचय:** गिद्ध मांसाहारी पक्षी हैं, जो मृत पशु खाते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं।
- **प्रजातियाँ:** भारत में **9 प्रजातियाँ** पाई जाती हैं:
  - Oriental White-backed, Long-billed, Slender-billed, Himalayan, Red-headed, Egyptian, Bearded, Cinereous, Eurasian Griffon।

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
₹6000/-
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY 1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
COURSE FEE
~~₹4000/-~~
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
BBK
Baaten Bazaar ki
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
Baaten Bazar Ki
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)

EMI AVAILABLE

- » Long-Term Investing Foundations
- » Principles of Value Investing and Stock
- » Portfolio Construction Mastery
- » Sectoral Investing
- » Stock Picking Framework
- » Active Portfolio Management Techniques
- » Mega Cap vs Mid Cap Strategy

SPECIAL BONUS

COURSE VALIDITY
1 YEAR